



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही  
जिला न्यायालय परिसर, सरूपविलास, सिरौही  
फोन नं. 02972-294034 हैल्पलाईन नं. 8306002138  
ईमेल: sirohidsa@gmail.com

क्रमांक : 75

दिनांक : 30-8-2022

--:कोटेशन आमंत्रण सूचना:--

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर इस प्राधिकरण के अधीन लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय हेतु 01 कम्प्यूटर (ऑल इन वन) 01 प्रिंटर क्रय किया जाना है। उपर्युक्त सामग्री उपलब्ध कराने के इच्छुक अनुभवी रजिस्टर्ड/अधिकृत फर्म/संवेदक अपनी दरें अपने लैटर पैड पर दिनांक 01.09.2022 को दोपहर 01.00 बजे तक इस प्राधिकरण में मोहर बंद लिफाफों में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	सामग्री का विवरण	सामग्री की तादाद
1	Computer " ALL In One "	Intel Core i3 12 <sup>th</sup> Generation, 8GB DDR4 Ram, 256GB SSD, 23.8" FHD Screen, Wifi, Bluetooth, POP Web Camera, Keyboard, Mouse, Windows 11 & Ms office, 1 Year on site Warranty	1
2	Printer	A4 laser Printer, 5000pages duty cycle, usb port, 600x600 dpi, 1Year on site Warranty	1

01. सामग्री की दर प्रस्तावित करते समय जीएसटी जैसी भी स्थिति हो स्पष्ट अंकित करें। दरें अंकों एवं शब्दों में साफ अंकित की जानी चाहिए।
02. फर्म/संवेदक जीएसटी/पेन रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
03. उपर्युक्त सामग्री के कंपनी का नाम आवश्यक रूप से अंकित करें।
04. सभी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र सिरौही मुख्यालय होगा।
05. उक्त कोटेशन से प्राप्त दरों अथवा न्यूनतम दरों को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति का होगा।
06. सामग्री के बिल का भुगतान प्रभारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
07. कोटेशन दाता को आरटीपीपी एक्ट 2012 व नियम 2013 के सभी प्रावधानों/शर्तों व उपबन्धों की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
08. सामग्री कार्यादेश में निर्धारित समय पर कार्यालय पर पहुंचानी होगी।
09. सामग्री की मांग में कमी एवं बेशी का अधिकार क्रय समिति का होगा।
10. कोटेशन को बिना बताए रद्द किया जा सकता है।
11. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं कोटेशन निरस्त समझी जाएगी।

  
साधिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(अध्यक्ष, क्रय समिति)  
सिरौही

दिनांक : 30-8-2022

क्रमांक : 2650-53

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. जिला मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चंस्या करने हेतु।
2. सिस्टम ऑफिसर, ई-कोर्ट, जिला न्यायालय, सिरौही को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. मैं.....
4. मैं.....
5. मैं.....

  
साधिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(अध्यक्ष, क्रय समिति)  
सिरौही